कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रेस विज्ञप्ति

राजनांदगांव 17 मई । छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिए स्थानान्तरण हेतु वर्ष 2011 में जारी स्थानान्तरण नीति में वर्णित कंडिका तथा निर्धारित शर्तो के अनुसार नियमित पंचायत शिक्षक स्थानान्तरण के संबंध में आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक- 29.06.2013 तक जमा कर सकते हैं । नियत तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र केवल विकलांगता, गंभीर बीमारी से ग्रस्त (मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र), पति-पत्नि समायोजन के तहत स्वीकार किये जायेंगे । अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा । स्थानान्तरण के संबंध में जारी निर्देश जिला पंचायत के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है तथा जिला पंचायत के वेब-साईट www.zprajnandgaon.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

सही/

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 2301 /शि.क./जि.पं./भर्ती/2013 राजनांदगांव, दिनांक- 17/06/2013

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, राजनांदगांव को सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, छ.ग. रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ संप्रेषित ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव ।
4. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, राजनांदगांव
5. जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, राजनांदगांव को जिला पंचायत के वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. सहायक संचालक, जन संपर्क, राजनांदगांव को विज्ञापन प्रकाशनार्थ।
7. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, (सर्व) जिला राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. कार्यालय सूचना पटल ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in **Email :- zp-rjn.cg@nic.in**
Phone No. (07744)224060, 226495 Fax :- (07744) 220140

11

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर

क्रमांक/पंग्रा.-3838/पंग्राविवि/2011/1090 रायपुर, दिनांक 02/11/2011

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत – छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत –छत्तीसगढ़

विषय :– शिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में नीति।

संदर्भ :– विभाग का अनुदेश कमांक 6963/3838/पंग्राविवि/22/2011, दिनांक 22.10.2011

—00—

कृपया संदर्भित अनुदेश का अवलोकन करें। उक्त अनुदेश द्वारा शिक्षाकर्मियों के आपसी स्थानांतरण के संबंध में नीति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में पदस्थ शिक्षाकर्मियों के लिए निम्नानुसार स्थानांतरण नीति जारी की जाती है :–

1. विकलांग शिक्षाकर्मियों को सड़क किनारे की शालाओं में स्थानांतरण करने पर विचार किया जा सकता है, जहां आवागमन के साधन उपलब्ध हों।
2. गम्भीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण पर विचार।
3. पति–पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने हेतु स्थानांतरण का प्रावधान।

<u>उपरोक्त हेतु निम्न शर्तें प्रभावशील होंगी :–</u>

1. शिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर होंगे।
2. स्थानांतरण केवल नियमित शिक्षाकर्मियों के ही होंगे।
3. स्थानांतरण हेतु दोनों नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (पंचायतों) की परस्पर सहमति आवश्यक होगी।
4. गंभीर बीमारी तथा विकलांगता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
5. पति–पत्नी एक स्थान पर पदस्थ करने के मामले में पति या पत्नी में से जो शिक्षाकर्मी, राज्य शासन के कर्मचारी, राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम अथवा राज्य में स्थानीय निकायों के कर्मचारी होंगे, उन्हें एक ही स्थान पर यथासंभव पदस्थ किया जायेगा, परंतु ऐसा किये जाने के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि स्थानांतरित पति अथवा पत्नी उस पंचायत क्षेत्र, विकास खण्ड अथवा जिले से न हो, जहां गंतव्य से तुलनात्मक रूप से पहले से शिक्षकों की रिक्तता अधिक हो अथवा कम शिक्षक पदस्थ हों। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शिक्षाकर्मी का स्थानांतरण गैर अनुसूचित क्षेत्र में न हो।

6. स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर स्थानांतरित शाला में कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।
7. तीनों वर्गों के शिक्षाकर्मियों के स्थानान्तरण आदेश संबंधित ज़िला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किये जायेगें।

कृपया शिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण करते समय उपरोक्त शर्तों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

021011/01

(देवाशीष दास)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/पंचा.–3838/पंग्राविवि/2011/1094
रायपुर, दिनांक 02/11/2011

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।

---

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक, पंचायत समाज सेवा, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।

021011/01

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग